

प्रेस नोट दिनांक 19.07.2024

जनपद चन्दौली

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत मारपीट व गाली-गलौज करने के आरोपी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमन तिवारी (सिवील जज (सी.डि)/एसीजेएम) जनपद चन्दौली ने दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

जनपद चन्दौली थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

दिनांक 23.12.14 को धारा 323,504,506,452 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.लक्ष्मण राम पुत्र पांचू राम निवासी एकौनी थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-78/14 धारा 323,504, 506,452 भादवि थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना धीना के पैरोकार हे0का0 रामप्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 19.07.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री

सुमन तिवारी (सिवील जज (सी.डि)/एसीजेएम) जनपद चन्दौली नें दोषी अभियुक्त 1. राम पुत्र पांचू राम निवासी एकौनी थाना धीना जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 4500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।